हिन्दी भाषा एवं न्यायालय



वर्तमान सन्दर्भ

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के बाद
 हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी अधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है।

अब्धाबी के फैसले का प्रभाव

- अरबी और अंग्रेजी नहीं जानने वालों तक न्याय की पहुंच बनाने की दृष्टि से यह फैसला काफी अहम है।
 अब यहां की अदालतों में वादी एवं प्रतिवादी अपने दावे और बयान हिंदी में दे सकेंगे।
- इसका उद्देश्य हिंदी भाषी लोगों को मुकदमें की प्रक्रिया में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पारदर्शी ढंग से सहायता करना है।
- इस्लाम धर्मावलंबी इस देश की आधिकारिक रूप से कुल आबादी करीब एक करोड़ है। इसमें भी दो तिहाई विदेशी नागरिक हैं।
- यहां भारतीय नागरिकों की आबादी लगभग छब्बीस लाख है। इनमें से अधिकांश हिंदी और तिमल भाषी हैं।
 तिमल भी हिंदी जानते हैं।
- भारत को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने में भी ये कामगार दूसरे स्थान पर हैं। यूएई के औद्योगिक-प्रौद्योगिक विकास में भी इन भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- ऐसी स्थिति में इन्हें श्रम न्यायालयों में कोई मामला दाखिल करते समय अंग्रेजी व अरबी नहीं जानने के कारण दस्तावेजों की असलियत समझने में संकट का सामना करना पड़ता था। क्योंिक अंग्रेजी या अरबी में ही अभिलेख तैयार करने की अनिवार्य बाध्यता, के कारण वादी व प्रतिवादी दोनों ही परेशानी का अनुभव करते थे।
- अबू धाबी की सरकार ने न्याय-प्रक्रिया में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा लेकर इन लोगों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है।
- न्याय की भाषा हिंदी बन जाने से अब भारतीयों को कानूनी-प्रक्रिया, उनके अधिकार और सेवा संबंधी शर्ते जानने-समझने में दस्तावेजों की अंग्रेजी व अरबी में अनुवाद कराने की बाध्यता खत्म हो जाएगी।
- इस उपाय से अमीरात को विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन-स्थल बनने में भी मदद मिलेगी। वे न्याय प्रक्रिया से गुजरते हुए पारदर्शिता का अनुभव करेंगे।

भारत की अदालतों में भाषा

- देश की सभी निचली अदालतों में संपूर्ण कामकाज हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में होता है, किंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यही काम केवल अंग्रेजी में होता है।
- यहां तक कि जो न्यायाधीश हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं जानते हैं, वे भी अपीलीय मामलों की सुनवाई में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद कराते हैं।
- यह देश और संविधान की विडंबना ही है कि अनुच्छेद-19, 343, 346, 347, 350 और 351 में कहीं भी अंग्रेजी की बाध्यता का जिक्र नहीं है।
- अनुच्छेद-19 में भारत के सभी नागरिकों को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' अपनी भाषा में व्यक्त करने का मूल अधिकार दिया गया है।
- यह अभिव्यक्ति संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 348 -

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है

विवरण: 1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

- (क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी,
- (ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में प्रःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,
- (ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और
- (iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।
- (2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपित की पूर्व सहमित से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा परन्तु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।
- (3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (ii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अँग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अँग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अन्य देशों में न्यायालयों की भाषा

- दुनिया में जितने भी देश महाशक्ति के दर्जे में आते हैं, उनकी अदालतों में मातृभाषा चलती है। यूरोपीय देशों में जैसे-जैसे शिक्षा व संपन्नता बढ़ी, वैसे-वैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रखर होता चला गया।
- फ्रांस ने 1539 में लैटिन को अपनी अदालतों से बेदखल किया। जर्मनी ने अठारवहीं सदी में लैटिन से पिंड छुड़ा लिया।
- इंग्लैंड की अदालतों में एक समय जर्मनी और फ्रांसीसी भाषाओं का ही बोलबाला था। यहां अंग्रेजी बोलने पर हजारों पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया जाता था, लेकिन 1362 में जर्मन एवं फ्रांसीसी को खत्म कर अंग्रेजी को इंग्लैंड की अदालतों में आधिकारिक भाषा बना दिया गया।
- रूस, चीन, जापान, वियतनाम और क्यूबा में भी मातृभाषाओं का प्रयोग होता है। लेकिन भारत और भारतीय अदालतें कोई सबक या प्रेरणा लिए बिना अंग्रेजी को स्वतंत्रता के सत्तर साल बाद भी ढोती चली आ रही हैं। अदालतों को अब इस भाषायी रंगभेद की दासता से मुक्त होने की जरूरत है।